प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-311/2024 दिनांक 05.11.2024)
दिनांक-05.11.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अन्तर्राजीय साइबर अपराधी/ झारखण्ड साहबगंज/जामताड़ा गैंग का पर्दाफाश, 05 साइबर अपराधी मय 115 चोरी के मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत 30, लाख रुपये) के साथ गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियो तथा चोरो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.11.2024 को थाना विशुनपुरा व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 05 अन्तर्राजीय साइबर अपराधी/चोर साहबगंज/झारखण्ड गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 115 अदद मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कंपनियो की तथा 02 मोटर साइकिल बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 428/2024 धारा 3(5)/303(2)/317(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66बी/66सी आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो यह बात प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण घने कस्बो व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पहुंचकर बड़ी सफाई से मोबाइल चोरी करने का काम करते है तथा चोरी की गयी मोबाइलों का लाक तोड़कर यूपीआई जनरेट कर झारखंड व पश्चिम बंगाल में बैठे साइबर अपराधियों के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करा लेते है तथा बाद में उक्त चोरी की मोबाइल को झारखंड, बिहार व बंगाल में सस्ते दामों पर बेच देते है। जनपद कुशीनगर में मोबाइल चोरी के सम्बन्ध में जो मुकदमें पंजीकृत कराये गये थे उनसे भी सम्बन्धित कई मोबाइलें बरामद हुई हैं। अभियुक्तों का झारखण्ड व बिहार राज्य में आपराधिक इतिहास की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 428/2024 धारा 3(5)/303(2)/317(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66बी/66सी आईटी एक्ट थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-बिक्की कुमार मण्डल पुत्र स्व0 अशोक मण्डल निवासी महराजपुर नया टोला थाना तेलझाड़ी जिला साहबगंज झारखण्ड

2-संतोष वर्मा पुत्र लल्लन प्रसाद सा0 गौरा थाना कटेया जनपद गोपालगंज बिहार

3-जहाँगीर शेख पुत्र आलीत शेख निवासी करारी चाँदपुर हरकला टोला थाना कलिया चक जिला मालदा पश्चिम बंगाल

4- स्वास्तम कुमार पुत्र स्व0 हरेराम मण्डल सा0 तौरसिया सीज थाना अमदाबाद जिला कटिहार बिहार
5-कैलाश मण्डल पुत्र स्व0 अशोक मण्डल सा0 निवासी महराजपुर नया टोला थाना तेलझाड़ी जिला साहबगंज झारखण्ड

विवरण बरामदगी-

1-कुल 115 अदद मोबाइल चोरी की (भिन्न-भिन्न कंपनियो की) (कुल कीमत- लगभग 30 लाख रूपया)

- आईफोन- 03 अदद
- ओपो-13 अदद
- वनप्लस- 08 अदद
- इनफिनिक्स- 05 अदद,
- रीयलमी/रीयलमी नारजो-22 अदद
- सैमसंग- 12 अदद
- पोको- 12 अदद
- विवो-19 अदद
- टेक्नो- 02 अदद
- मोटोरोला- 08 अदद
- रेडमी- 06 अदद
- हुवाई- 01 अदद
- आईक्यू-04 अदद)

2-एक अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर वाहन संख्या UP56AP6583 (चोरी की)
एक अदद टीवीएस राइडर काले रंग की (बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध)
3-नगद 14,620/- रुपया

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1-प्र0नि0 श्री रामसहाय चौहान थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 श्री आलोक कुमार स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
3-उ0नि0 श्री शरद भारती सर्विलांस सेल प्रभारी मय टीम
4-उ0नि0 श्री विनय प्रताप सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
5-उ0नि0 श्री अश्विनी कुमार राय थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
6-उ0नि0 श्री चंदन प्रजापति थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
7-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
8-का0 आपरेटर विनोद सरोज थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
9-हे0का0 सनातन सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
10-हे0का0 संतोष सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
11-हो0का0 चन्द्रशेखर यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
12-हे0का0 राहुल सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर

13-का0 ऋषि पटेल स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
14-का0 समीम थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
15-का0 सुर्यप्रताप सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
16-का0 महेन्द्र यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
17-का0 अनिल यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
18-का0 अंगद यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

24 घण्टे के अंदर हत्या की घटना का खुलासा, अभियुक्त गिरफ्तार, पति ने ही की थी हत्या-

दिनांक 03.11.2024 को थाना कोतवाली हाटा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नाउमुंडा निवासी गुड्डू यादव पुत्र स्व0 मूरत यादव द्वारा थाना कोतवाली हाटा पर सूचना दी गयी कि दिनांक 03.11.2024 को उसकी पत्नी रेखा उर्फ शिवानी उम्र करीब 34 वर्ष की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गयी है व शव को धान के खेत में फेक दिया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली स्थानीय पर मु0अ0सं0- 829/2024 धारा 103 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण/अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के नेतृत्व में टीमें गठित कर निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में गठित टीमों द्वारा इलेक्ट्रानिक व मैनुअल साक्ष्य एकत्रित किये गये, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा अन्य लोगों से पुछताछ के आधार पर ज्ञात हुआ कि मृतका के पति गुड्डू यादव उपरोक्त द्वारा ही घटना को कारित किया गया है। जिसे थाना कोतवाली हाटा द्वारा नियमानुसार गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 248 बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछाताछ का विवरण-

अभियुक्त गुड्डू यादव उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह अपनी पत्नी के कृत्यों से बहुत परेशान हो चुका था। बार-बार पत्नी द्वारा अपशब्दों का प्रयोग कर सम्बोधित किया जाता था जिसको लेकर आपस में कई बार मार-पीट की घटना भी हुई थी तथा गांव घर में मेरी बहुत बदनामी होने लगी थी। मैं मानसिक रुप से परेशान रहने लगा तथा मैने उसको जान से मारने का इरादा बना लिया था। दिनांक 03.11.2024 को मेरी पत्नी शौच के लिए गयी तो मै भी उसके पीछे-पीछे गया, मौका पाकर मंझरिया माता मंदीर जाने वाले रोड के पास धान के खेत में अपने पास पहले से रखे हुए चाकू से ताबड़तोड़ अपनी पत्नी के ऊपर कई बार वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। मुझे कुछ लोगों द्वारा देख लिया गया था जिनके द्वारा शोर करने पर मैं गन्ने के खेत में छिप गया तथा पहने हुए कपड़ों को गन्ने के खेत में छिपाकर अन्धेरे का लाभ लेकर घर आकर कपड़ा बदल कर पुनः घटनास्थल पर पहुँच गया तथा थाने जाकर तहरीर दे कर मुकदमा पंजीकृत करा दिया।

पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

मु0अ0सं0- 829/2024 धारा 103, 248 बीएनएस थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

गुड्डू यादव पुत्र स्व मुरत यादव साकिन नाउमुंडा थाना कसया जनपद कुशीनगर

बरामदगी-

1-एक अदद आलाकत्ल चाकू।

2-खून से सने हुए कपड़े (जो अभियुक्त द्वारा घटना कारित करते समय पहने हुए था)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 सुशील कुमार शुक्ला थाना को0हाटा जनपद कुशीनगर

2-व0उ0नि0 मंगेश मिश्रा थाना को0हाटा जनपद कुशीनगर

3-उ0नि0 संतराज यादव थाना को0हाटा जनपद कुशीनगर

4-का0 जितेन्द्र पाल थाना को0हाटा जनपद कुशीनगर

5-का0 दीपक कुमार थाना को0हाटा जनपद कुशीनगर

6-का0 नीरज सिंह थाना को0हाटा जनपद कुशीनगर।

थाना सेवरही पुलिस द्वारा एक अदद अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.11.2024 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा एक अभियुक्त कृष्ण मुरारी पुत्र मुन्जी मिश्रा साकिन राजपुर बगहाँ टोला ब्रम्हपुर थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 370/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 370/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

कृष्ण मुरारी पुत्र मुन्जी मिश्रा साकिन राजपुर बगहाँ टोला ब्रम्हपुर थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-

1. एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर
2. एक अदद वीवो मोबाईल एन्ड्राइड

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री श्रीप्रकाश राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री संदीप वर्मा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

3. उ0नि0 श्री आकाश सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. का0 आदित्य सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
5. का0 सुबेदार यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
6. का0 सुशील कुमार थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.11.2024 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 369/2024 धारा 109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त गोविन्द्र पासवान पुत्र शंकर पासवान सा0 बनरहा पश्चिम पट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
1.मु0अ0सं0 369/2024 धारा 109(1) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-
गोविन्द्र पासवान पुत्र शंकर पासवान सा0 बनरहा पश्चिम पटटी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-
घटना में प्रयुक्त एक अदद नाजायज चाकू
गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1. थानाध्यक्ष श्री श्रीप्रकाश राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. व0उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 श्री राजेश यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. का0 रामनिवास यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
5. का0 पवन कुशवाहा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 27नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।
कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-08 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-43, व्यक्ति-153
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(08)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-35)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर